न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 11/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री एहसान खान पुत्र श्री शकुरखान जाति मुसलमान शेख भटटी निवासी घिरडोदा खारा पुलिस थाना जसबन्तगढ जिला नागौर।
2. विधी से संघर्षत बालक श्री धनाराम पुत्र श्री जसुराम जाति बेनीवाल जाट निवासी जेठानिया पुलिस थाना देचु जिला जोधपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी, सिरोही
2. श्री दलपतराज परमार अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.09.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2020 को श्री छगनलाल उनि. डीएसटी टीम प्रभारी सिरोही ने श्री नरेन्द्रसिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत रेवदर को सूचना दी कि हाईवे पर अनादरा से रेवदर की तरफ रामदेव हरियाणा होटल के पीछे एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है। उक्त सूचना पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य पहुंचें। मौके पर एक टैंकर जिसमें करीबन 23000 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें 275 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 23000 लीटर डीजल टैंकर में भरा हुआ तथा 275 लीटर डीजल ड्रमों भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 11.10.2020 को श्री छगनलाल उनि. डीएसटी टीम प्रभारी सिरोही ने श्री नरेन्द्रसिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत रेवदर को सूचना दी कि हाईवे पर अनादरा से रेवदर की तरफ रामदेव हरियाणा होटल के पीछे एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है और टैंकर मालिक उस तेल को अवैध रूप से बेच रहा है। उक्त सूचना पर मन वृताधिकारी वृत रेवदर मय सरकारी वाहन जाब्ता

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर एक टैंकर नम्बर आरजे 14 जीके 9655 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर एक आदमी खडा था और एक आदमी नीचे पाईप से डीजल निकालता दिखाई दिया। उनसे उनके नाम पूछने पर बताया कि टंकी पर चढे हुए आदमी का नाम श्री एहसान खान पुत्र श्री शकुर खान जाति मुसलमान शेख भटटी निवासी घिरडोदा खारा थाना जसवन्तपुरा जिला नागौर एवं पाईप से डीजल निकालने वाले व्यक्ति का नाम रामदेव हरियाणा होटल पर काम करने वाला श्री धनाराम पुत्र श्री जसुराम जाति बेनीवाल जाट निवासी जेठानिया थाना देचु जिला जोधपुर बताया। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 275 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो होटल मालिक को बेचना था। मौके पर कुल पांच ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के जिसमें तीन प्लॉस्टिक तथा दो लोहे के बडे ड्रम, 35–35 लीटर क्षमता के दो प्लॉस्टिक के जरीकन जिसमें एक पीला व एक काले रंग का था एवं 20–20 लीटर क्षमता के दो प्लॉस्टिक के केन पाए गए, जिसमें से एक प्लॉस्टिक के ड्रम में 200 लीटर एवं दूसरे 200 लीटर क्षमता वाले प्लॉस्टिक के ड्रम में 75 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा बाकी ड्रंम, जरीकन व केन खाली थे। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 23 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें करीबन 23000 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री एहसान खान से टैंकर की तोडी गई तीनों टूटे हुए कम्पार्टमेन्ट की सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को होटल मालिक द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार करीबन 23000 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 275 लीटर डीजल, जो ड्रमों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त डीजल नायरा एनर्जी लिमिटेड कम्पनी का था, जिसे जब्त सरकार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। यह है कि उक्त प्रकरण में जब्त 275 लीटर डीजल के अलावा टैंकर में डीजल भरा हुआ होने से उस डीजल की एफ.एस.एल. जांच भी हुई, जिसमें वह डीजल होना सही पाया गया। अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त डीजल को उन्हें सुपूर्द किया जावे, जिस हेतु श्रीमान न्यायालय में जमा बैंक गारण्टी को टैंकर के मालिक को लौटाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 11.10.2020 को श्री छगनलाल उनि. डीएसटी टीम प्रभारी सिरोही ने श्री नरेन्द्रसिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत रेवदर को सूचना दी कि हाईवे पर अनादरा से रेवदर की तरफ रामदेव हरियाणा होटल के पीछे एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

और टैंकर मालिक उस तेल को अवैध रूप से बेच रहा है। उक्त सूचना पर मन वृताधिकारी वृत रेवदर मय सरकारी वाहन जाब्ता के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर एक टैंकर नम्बर आरजे 14 जीके 9655 खडा दिखाई दिया, जिसकी टंकी के ऊपर एक आदमी खडा था और एक आदमी नीचे पाईप से डीजल निकालता दिखाई दिया। उनसे उनके नाम पूछने पर बताया कि टंकी पर चढे हुए आदमी का नाम श्री एहसान खान पुत्र श्री शकुर खान जाति मुसलमान शेख भटटी निवासी घिरडोदा खारा थाना जसवन्तपुरा जिला नागौर एवं पाईप से डीजल निकालने वाले व्यक्ति का नाम रामदेव हरियाणा होटल पर काम करने वाला श्री धनाराम पुत्र श्री जसुराम जाति बेनीवाल जाट निवासी जेठानिया थाना देचु जिला जोधपुर बताया। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सीलें टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 275 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो होटल मालिक को बेचना था। मौके पर कुल पांच ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के जिसमें तीन प्लॉस्टिक तथा दो लोहे के बडे ड्रम, 35–35 लीटर क्षमता के दो प्लॉस्टिक के जरीकन जिसमें एक पीला व एक काले रंग का था एवं 20–20 लीटर क्षमता के दो प्लॉस्टिक के केन पाए गए, जिसमें से एक प्लॉस्टिक के ड्रम में 200 लीटर एवं दूसरे 200 लीटर क्षमता वाले प्लॉस्टिक के ड्रम में 75 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा बाकी ड्रम, जरीकन व केन खाली थे। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 23 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें करीबन 23000 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री एहसान खान से टैंकर की तोडी गई तीनों टूटे हुए कम्पार्टमेन्ट की सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को होटल मालिक द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार करीबन 23000 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 275 लीटर डीजल, जो ड्रमों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया करीबन 23000 लीटर डीजल, जो टैंकर नम्बर आरजे 14 जीके 9655 में भरा हुआ था, नायरा एनर्जी लिमिटेड का था, जिसके बिल की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उक्त डीजल की एफ.एस.एल. रिपोर्ट में डीजल होना ही पाया गया है। अतः टैंकर में भरे हुए करीबन 23000 लीटर डीजल को उसके स्वामी को लौटाया जाना न्याय संगत होगा एवं मौके पर ड्रमों में भरा हुआ कुल 275 लीटर डीजल, जिसके अप्रार्थी के पास कोई बिल या अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं होने से चोरी का डीजल होना प्रतीत होता है एवं इसके संबंध में अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी किसी भी प्रकार का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ड्रमों में भरे हुए कुल 275 लीटर डीजल को राज्यसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि टैंकर नम्बर आरजे 14 जीके 9655 में भरा हुआ करीबन 23000 लीटर डीजल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.2020 को उसके मालिक को रूपए 12 लाख की बैंक गारन्टी पर दिए जाने का आदेश दिया जा चुका है एवं मौके पर ड्रमों में भरा हुआ कुल 275 लीटर डीजल चोरी का प्रतीत होने से एवं बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये प्लॉस्टिक ड्रमों में भरा हुए कुल 275 लीटर डीजल एवं शेष खाली ड्रम, जरीकन व केन को समयपहरण (Confiscate) करने के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

21-SEP-23

संख्या मैनुअल संख्या एक्ट वाद का प्रकार सुनवाई का प्रकार प्रार्थी का नाम

नोटिस

निगरानी नोटिस प्रकाश कुमार राजेश

आदेश दिये जाते है। चूंकि टैंकर नम्बर आरजे 14 जीके 9655 में भरा हुआ करीबन 23000 लीटर डीजल एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट में भी डीजल होना ही पाया जाने से टैंकर मालिक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी नम्बर 3188320बीजी0001594 जो दिनांक 18.11.2020 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजस्थान ट्रेलर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम जारी की गई थी, को रिलीज किया जाता है। उक्त बैंक गारन्टी मूल ही टैंकर मालिक को लौटाई जाकर उसकी प्रति बतौर अभिलेख पत्रावली में रखी जावे।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए प्लॉस्टिक ड्रमों में भरा हुए कुल 275 लीटर डीजल एवं शेष खाली ड्रम, जरीकन व केन का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner